फोन नं० 0612-2219545(का०
फैक्स नं०-0612-2218900
Email-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

जिला नज़ारत शाखा

भाड़े पर जेनरेटर लेने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के निदेशानुसार बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पटना जिला के सभी 23 (तेईस) प्रखण्ड सह अंचल कार्यालयों में कार्यालय अवधि के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 5KVA का जेनेरेटर ऑपरेटर सहित भाड़े पर अधिष्ठापित किया जाना है। जेनरेटर के भाड़े की दर निर्धारण हेतु इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ता से द्वि-लिफाफा प्रणाली में निम्न शर्तों के तहत् निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1. तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत किया जायेगा।

2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।

3. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागज़ात रखे जायेंगे :-

(क) फर्म का निबंधन प्रमाण-पत्र।

(ख) सेवा कर के तहत निबंधन प्रमाण पत्र।

(ग) आयकर दाता होने का प्रमाण यथा पैन कार्ड।

(घ) काली सूची दर्ज नहीं होने संबंधी स्वलिखित प्रमाण पत्र।

(ड0) अग्रधन के रूप में 5,000/-(पाँच हजार) रू० का बैंक ड्राफ्ट/जिला नजारत शाखा, पटना में राशि जमा कर नाज़िर रसीद प्रस्तुत करना होगा, जो जिला पदाधिकारी पटना के पदनाम से भुगतेय होगा।

4. वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में ऑपरेटर के साथ भाड़े पर जेनरेटर की आपूर्ति हेतु प्रति माह "ईंधन सहित" दर अंकित किया जाएगा। यह दर सभी कर सहित होगा।

5. निविदादाता इच्छुक कार्यालयवार अलग-अलग दर अंकित कर निविदा देंगे।

6. निविदादाता विहित प्रपत्र मे ही वित्तीय निविदा देंगे। प्रपत्र जिला नजारत शाखा या जिले के वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं।

7. निविदा में सफल निविदादाता को कार्यादेश में वर्णित तिथि तक सभी अंचल कार्यालयों में जेनरेटर की आपूर्ति निश्चित रूप से करनी होगी अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

8. आपूरित जेनरेटर के भाड़े का भुगतान सम्बन्धित अंचल कार्यालय द्वारा परिचालन के दिनों की संख्या के अनुरूप लौग बुक के जाँचोपरान्त नियमानुसार करों की कटौती करते हुए की जाएगी।

9. जेनेरेटर के ऑपरेटर का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जाएगा।

10. जेनरेटर में किसी प्रकार की खराबी आने पर सम्बन्धित फर्म को दूसरे जेनरेटर की व्यवस्था हर-हाल में दूसरे कार्य दिवस को करनी होगी, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उस माह का भाड़े का भुगतान नहीं किया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फोन नं० 0612 2219545(का)
फैक्स नं.–0612–2218900
Email-nazaratpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

NIC

समाहरणालय, पटना।
जिला नजारत शाखा

11. फर्म मालिक को विपत्र प्रत्येक माह ससमय 7वीं तारीख के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

12. इच्छुक निविदादाता दिनांक 08.11.14 के अपराहन् 03:00 बजे तक जिला नजारत शाखा, पटना में मोहरबंद लिफाफे में निविदा समर्पित कर सकते हैं। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 08.11.14 के अपराहन् 03:30 बजे जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना आवश्यक है।

13. उपर्युक्त शर्तो के अनुरूप मासिक न्यूनतम् दर के निविदादाता के साथ एक वर्ष के लिए एकरानामा किया जाएगा और उन्हे जेनरेटर वर्णित तिथि से निश्चित रूप से उपलब्ध कराना होगा।

14. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ह०/-
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक :– 1075 /नजा0, पटना, दिनांक 10.10.14

प्रतिलिपि :– निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना एवं जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी, जिला पटना को सूचना–पट्ट पर चिपकाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि निविदा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

10/10
जिलाधिकारी,
पटना।

4